न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 26/2025
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.01.2025
जीरीएगएस नम्बर :— 2025/58

1. गितूडी देवी पत्नि श्री कालुराम, उम्र—80 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर
2. गोतमचन्द पुत्र श्री कालुराम, उम्र—47 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर,
3. किसन पुत्र श्री कालुराम, उम्र—45 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर,
4. बदरीलाल पुत्र श्री कालुराम, उम्र—52 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर
5. रमेश पुत्र श्री कालुराम, उम्र— 33 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर
6. सुगनचन्द पुत्र श्री कालुराम, उम्र—52 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर, तहसील —रायपुर, जिला—ब्यावर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र श्री गणेश, उम्र—वयस्क, जाति माली, निवासी रायुपर,
2. ढगलाराम पुत्र श्री गणेश, उम्र—वयस्क, जाति माली, निवासी रायपुर,
3. तिजाई पत्नि श्री गणेश, उम्र—वयस्क, जाति माली, निवासी रायपुर,
4. दुर्गादेवी पुत्री श्री कालुराम, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
5. धर्मीचन्द पुत्र श्री गणेश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
6. नेनाराम पुत्र श्री मुलाराम, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
7. बाबुलाल पुत्र श्री गणेश, उम्र—वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर,
8. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण श्री फिरोज खान उपस्थित

निर्णय दिनांकः 16.04.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय, पटवार हल्का—रायपुर द्वितिय भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र—रायपुर, तहसील—रायपुर, जिला—ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073—2076 के खाता सं. 152 खसरा सं. 1699 रक्बा 1.5378 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1700 रक्बा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1702 रक्बा 0.6151 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1705 रक्बा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1706 रक्बा 4.4192 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1717 रक्बा 4.8319 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम खसरा सं. 1718/1 रक्बा 0.5666 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम कुल खसरा 07 कुल रक्बा 12.9014 हैक्टेयर कृशि भुमि आई हुई है जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण के शामलाती पुश्तैनी खातेदारी भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073— 2076 कि प्रमाणित प्रति, राजस्व नक्शे कि ईमित्र से प्राप्त प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त विवादित भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी है जिसमे वादीगण प्रत्येक का 1/21—1/21 यानि वादीगण का कुल 6/21 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण का दर्ज जमाबन्दी रेकर्ड अनुसार हिस्सा बनता है। विवादित भुमि पुश्तैनी होने से पुर्वजो के समय से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से मौके पर बटॅवाडा हो रखा था जिस अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के समय से लेकर आज दिन तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने —अपने हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से की भुमि पर रूप्ये लगाकर खाद डालकर उपजाउ बनाया है, एवं पुर्वजो के समय मौखिक बटॅवाडा के अनुसार मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे एक खाते के रुप मे एवं राजस्व नक्शे मे एक जोत मे दर्ज इन्द्राज है जिस कारण वादीगण को सरकारी सहायता ऋण लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होता रहता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उपजाउ भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है इसलिए वादी अपनी हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 के हिस्से की भूमि से अलग बंट करवाना चाहते है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण की भुमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं वादीगण को कुछ प्रतिवादी ने उनको अपने हिस्से की भुमि मे आने जाने पर आये दिन झगडा फसाद होते रहते है। इसलिए

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादीगण विवादित भुमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं मौखिक बॅटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बॅटवाडा करवाना चाहता हैं। उक्त विवादित आराजियात मे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा नहीं हाने के कारण भुमि मे आने जाने के लिए आये दिन झगडा फसाद होते है,। वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं व बहैसियत मालिक अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 8 के बिच पुर्व मे मौके पर बन्टवारा हो रखा था परन्तु प्रतिवादीगण वादी के मध्य आये दिन माठ को लेकर विवाद होता रहता है एवं एक दुसरे की खातेदारी भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है, जो कानुनन अपराध है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्सा पर से बेदखल किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बॉउन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, अतः राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बॉउन्ड्स बन्टवारा करवाकर जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज रेकर्ड हिस्सा अनुसार अलग खसरा नं. लगाकर अंकन किया जावें। राजस्व नक्शे मे भी अलग अलग इन्द्राज किया जावे एवं लगान भी बाटॉ जावे। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद समाप्त हो जाये एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से कि भुमि को उपजाउ बना सके। एवं शान्ति पुर्वक काश्त कर सके। राजस्व रेकर्ड मे विवादित भुमि सामलाती होने के कारण प्रतिवादीगण एंव वादीगण के मध्य माठ को लेकर विवाद होने से दिनॉक 10/01/2025 को वादी की भुमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की कोशिश कि एवं वादीगण को विवादित भुमि से बेदखल कर अपना हक अधिकार जमाना चाहा जब वादीगण को जानकारी हुई एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि आप मेरी भुमि पर कब्जा क्यो कर रहे है हमने बडी मुसीबत से एवं लाखो रूपये खर्च कर व खाद डाल मेहनत कर इसे उपजाउ बनाया है। तब प्रतिवादीगण ने वादीगण को बॅटवाडा करने से मना कर दिया। वादीगण के बार बार अपना हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण उसका हक हिस्सा नहीं देना चाहते एवं न ही राजस्व रेकर्ड मे बन्टवाडा करना चाहते है वादीगण के बन्टॅवाडा करने के निवेदन से प्रतिवादीगण के द्वारा दिंनाक 15/01/2025 को स्पष्ट ने बन्टवारा करने से मना देने के कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बॉउन्ड्स बन्टवारा करवाया जावें एवं वादीगण को मौके पर पत्थर गढी, मेखम बंदी करवाई जावे तथा खसरा व खाता अलग निर्धारण कर लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे हिस्से अनुसार तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। वादीगण का शामलाती 6/21 वा हिस्सा के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी भुमि मे लाखों रूप्ये लगाकर उपजाउ बनाया हे अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के हिस्से के किसी भू भाग को अपनी जमीन मे मिला देते है या बेचान कर देता हैं तो वादी को अपनें हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हैं। चूंकि प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 उक्त विवादित भुमि मे राजस्व रेकर्ड अनुसार सह खातेदार होने से तथा प्रतिवादीगण सं 9 लैण्ड होल्डर होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में वादीगण का केस उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के ही पक्ष में है। मौजूदा वाद का कारण ग्राम रायपुर द्वितिय तहसील रायपुर मे होने से माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा वाद दिनांक 15/01/2025 को उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता जा रहा है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय से सादिर फरमावे की सरहद मौजा रायपुर द्वितिय, पटवार हल्का–रायपुर द्वितिय भू. अभि. निरिक्षक क्षेत्र–रायपुर, तहसील–रायपुर, जिला–ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2073– 2076 के खाता सं. 152 खसरा सं. 1699 रक्बा 1.5378 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1700 रक्बा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1702 रक्बा 0.6151 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1705 रक्बा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1706 रक्बा 4.4192 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 1717 रक्बा 4.8319 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम खसरा सं. 1718/1 रक्बा 0.5666 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम कुल खसरा 07 कुल रक्बा 12.9014 हैक्टेयर, कुषि भुमि आई हुई है जो वादी एंव प्रतिवादीगण के शामलाती पुश्तैनी खातेदारी भुमि है। वादीगण प्रत्येक का 1/21–1/21 यानि वादीगण का कुल 6/21 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण का दर्ज जमाबन्दी रेकर्ड अनुसार हिस्सा बनता है। विवादित भुमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भुमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर सामलाती खाता अलग अलग किया जावें व नामान्तरण भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें लगान को बाटा जावे व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेख बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें, तथा वादीगण को उस हिस्से का खातेदार काश्तकार फरमाया जावे राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन की जावे। जिससे भविष्य मे होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुऐ है जो संलग्न पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 07 के सम्मन की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी

गुलाबसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रतिवादीगण अनुपस्थित है इसीलिए इन प्रतिवादीगण, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03, 05, 06 के अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने वादपत्र पर जबाव प्रस्तुत किया है जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरी बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

उभयपक्ष बहस सामायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरी बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी किये गये।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/605 दिनांक 21.03.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ है।जो संलग्न पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 04 की ओर श्रीमती दुर्गादेवी पुत्री कालूराम पत्नि सम्पराज जाति माली निवासी रायपुर की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश किया हैं। जों संलग्न पत्रावली किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सामायत की गई । दौराने बहस अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने बताया कि प्रतिवादी का किसी प्रकार के कोई रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त नहीं हुए है और ना ही किसी प्रकार के कोई रजिस्टर्ड सम्मन पर किसी प्रकार की प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर नही हुए हैं।प्रतिवादी का पता ससुराल का अंकित करना था और प्रतिवादीगण के बिना सम्मन प्राप्त हुए ही और पत्रावली पर बिना किसी प्रकार की सम्मन प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक तरफा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई हैं जो न्यायहित में सेटेसाईट किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जबाव नहीं देना चाहते एवं बहस करना चाहते हैं। दौराने बहस अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक/एडी की गई हैं। जिसमें प्रत्येक प्रतिवादीगण के ट्रेंकिंग रिपोर्ट/डिलीवरी रिपोर्ट भी न्यायालय को पेश की गई हैं। जो न्याय संगत हैं। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत् हुई हैं। तथा प्राथमिक डिकी के आदेश में बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया गया हैं इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र को भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें।

उभयपक्ष बहस सामायत की गई। उभयपक्ष बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक/एडी की गई हैं। जिसमें प्रत्येक प्रतिवादीगण के ट्रेंकिंग रिपोर्ट/डिलीवरी रिपोर्ट भी पेश हैं एवं न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी आदेश बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस हुआ हैं इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है लिहाजा अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी, का खारिज किया जाता हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03,05,06 की ओर अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपील के निर्णय तक वाद की कार्यवाही रोकने बाबत् का पेश किया हैं। जों संलग्न पत्रावली किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सामायत की गई । दौराने बहस अधिवक्ता श्री फिरोज खान ने बताया कि उक्त वाद में आदेश दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष विचाराधीन हैं उक्त अपील का जब तक निस्तारण नहीं होता हैं, तब तक उक्त वाद में न्यायालय हाजा के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करें तथा ना ही कार्यवाही करावें अन्यथा प्रतिवादी के अपील करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वादपत्र में कोई प्रभावी आदेश नहीं करने हेतु निवेद किया है।।

वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जबाव नहीं देना चाहते एवं बहस करना चाहते हैं। दौराने बहस अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने बताया कि यह कथन हैं कि उक्त वादपत्र में अपील विचाराधीन रहते हुए कोई आदेश पारित नही करें तथा कोई कार्यवाही नही करें। ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादपत्र को लम्बा करने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अपील के संबंध में उक्त वादपत्र पर कोई स्थगन नही किया गया हैं। अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली में मिसल तलबी भी प्राप्त नहीं हुई हैं। उक्त प्रतिवादीगण ने प्राथमिक डिकी आदेश में सहमति प्रदान भी की हैं। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र को भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

उभयपक्ष बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त वादपत्र में कार्यवाही को स्थगन नहीं करने एवं मिसल तलबी प्राप्त नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही पाया जाता हैं, लिहाजा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री फिरोज खान द्वारा पेश वास्ते अपील के निर्णय तक वाद की कार्यवाही रोकने बाबत्, का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया हैं इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी नहीं की जाकर पुनः बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया हैं। उभयपक्ष बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा रायपुर द्वितीय पटवार हल्का–रायपुर द्वितीय भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र–रायपुर, के खसरा सं. 1699, खसरा सं. 1700, खसरा सं. 1702, खसरा सं. 1705, खसरा सं. 1706, खसरा सं. 1717 खसरा सं. 1718/1 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. मिठूडी देवी पत्नि श्री कालुराम, उम्र–80 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर
2. गोतमचन्द पुत्र श्री कालुराम, उम्र–47 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर,
3. किसन पुत्र श्री कालुराम, उम्र–45 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर,
4. बदरीलाल पुत्र श्री कालुराम, उम्र–52 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर
5. रमेश पुत्र श्री कालुराम, उम्र– 33 वर्ष, जाति माली, निवासी रायपुर
6. सुगनचन्द पुत्र श्री कालुराम, उम्र–52 वर्ष, जाति माली निवासी रायपुर, तहसील –रायपुर, जिला–ब्यावर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र श्री गणेश, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी रायुपर,
2. ढगलाराम पुत्र श्री गणेश, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी रायपुर,
3. तिजाई पत्नि श्री गणेश, उम्र–वयस्क, जाति माली, निवासी रायपुर,
4. दुर्गादेवी पुत्री श्री कालुराम, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
5. धर्मीचन्द पुत्र श्री गणेश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
6. नेनाराम पुत्र श्री मुलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
7. बाबुलाल पुत्र श्री गणेश, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर,
8. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर,

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूवरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री फिरोजखान मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया उक्त वादपत्र में सरहद मौजा रायपुर द्वितीय पटवार हल्का–रायपुर द्वितीय भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र–रायपुर, के खसरा सं. 1699, खसरा सं. 1700, खसरा सं. 1702, खसरा सं. 1705, खसरा सं. 1706, खसरा सं. 1717 खसरा सं. 1718/1 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज..... .....मुबलिक..... .....बावत्..... ..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04..2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं

पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	005	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		10	00			005	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।